न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0) जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 12/2025 (जी सी एम एस नम्बर 2025/26)

उनवानी प्रकरण :–

बुद्धीराम उर्फ बुद्धीराम लहरी पुत्र लक्ष्मणसिंह उम्र करीब 79 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम सालेपुर तहसील सैंपऊ हाल लहरी हाउस सुन्दर कॉलोनी धौलपुर

----------अपीलान्ट

बनाम्

1–राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सैंपऊ, जिला धौलपुर

----------रेस्पोडेण्टस

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 20.02.2025
मु0नं0 226/2025 सरकार बनाम बुद्वीराम
धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालयतहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री किरोडीलाल जाटव
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 22.07.2025

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 860/676 रकवा 0.1011 हेक्टेयर बांके ग्राम सालेपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने तथा लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित करने का आदेश दिनांक 20.02.2025 को पारित किया है जबकि आराजी खसरा नम्बर 860/676 रकवा 0.1011 हेक्टेयर बांके ग्राम सालेपुर तहसील सैपऊ पर अपीलान्ट का पिछले 60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट को आवन्टन हेतु योग्यता मानकर भूदान का प्रमाण पत्र दिनांक 18.01.1965 को अपीलान्ट के पक्ष में जारी किया गया। जिसमें रकवा 04 बीघा दिया गया लेकिन आज तक राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की अनुपालना नहीं की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उपरिवर्णित आराजी पर अतिक्रमी मानकर विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ अधिकारी को विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट का कब्जा पिछले 60 वर्षों से

जिला कलक्टर
धौलपुर

निरन्तर निर्बाध्यरूप से उपयोग उपभोग में होने से तथा अपीलान्ट का आवन्टन शर्तों की अर्हतायें रखने से नियमन किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है जो अपेक्षित है जिसे नकारने में आधीन न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा पिछली कब्जे के सम्बन्ध में सीमांक प्रस्तुत की गयी जिनके आधार पर आवन्टन की सिफारिस चाही गयी जिसे अनदेखा कर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट निरन्तर रूप से काश्त कर फसल प्राप्त करता चला आ रहा है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के कब्जे को दरकिनार कर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय जैर अपील दिनांक 20.02.2025 को पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारीगण प्रार्थी को नकल जारी करने का आश्वासन दिया और आगे टालमटूल करते रहे और पुनः प्रार्थी ने कहासुनी की तो उक्त कर्मचारियों ने नया प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने नकल दिनांक 20.04.2025 जिस पर दिनांक 22.04.2025 को नकल जारी की गई जिससे नकल प्रार्थी अपीलान्ट की वर्तमान अपील अवधि अन्तर्गत है। ज्ञान से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथ्य एवं विधिक प्रावधानों को अनदेखाकर एकांगिक रूप से पारित किया गया है। तहसीलदार सैंपऊ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 860/676 रकवा 0.1011 हेक्टेयर बांके ग्राम सालेपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने तथा लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित करने का आदेश दिनांक 20.02.2025 को पारित किया है जबकि आराजी खसरा नम्बर 860/676 रकवा 0.1011 हेक्टेयर बांके ग्राम सालेपुर तहसील सैपऊ पर अपीलान्ट का पिछले 60 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट को आवन्टन हेतु योग्यता मानकर भूदान का प्रमाण पत्र दिनांक 18.01.1965 को अपीलान्ट के पक्ष में जारी किया गया। जिसमें रकवा 04 बीघा दिया गया लेकिन आज तक राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की अनुपालना नहीं की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उपरिवर्णित आराजी पर अतिक्रमी मानकर विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील

जिला कलक्टर
धौलपुर

इन आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ अधिकारी को विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट का कब्जा पिछले 60 वर्षो से निरन्तर निर्बाध्यरूप से उपयोग उपभोग में होने से तथा अपीलान्ट का आवन्टन शर्तो की अर्हतायें रखने से नियमन किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है।विधिक प्रावधानों को ताक पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक (बारानी दोयम) सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है। पटवारी द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्व होता है। चूंकि आराजी सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलान्ट/अतिक्रमी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.02.2025 में साक्ष्य पेश किया जाना तथा मौका देखा जाना अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजातों तथा मौका पर्चा/मौका रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने पर धारा 19(1)ए.ए. राज. काश्त अधिनियम के विपरीत लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहने बावत जबाव/साक्ष्य पेश करना अंकित किया है। अपीलान्ट ने अपील के साथ अपीलान्ट के हक में राज0 भूदान यज्ञ बोर्ड कर प्रमाण पत्र पेश किया है। अपीलान्ट का कथन है, कि भूदान यज्ञ बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र की राजस्व अभिलेख में अनुपालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.02.2025 में अपीलान्ट का उनके समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य पेश करना तो अंकित किया परन्तु उनके द्वारा क्या साक्ष्य पेश की गई यह अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया उनकी पत्रावली पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कोई जबाव/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मुख्य प्रश्न पिछले 60 वर्षो से कब्जा के आधार पर नियमन किये जाने हेतु उठाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के लम्बे समय से चल रहे कब्जे के सम्बध में कोई विवेचन नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तथ्यों को अंकित कर न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेकपूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः हम न्यायहित में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को विधिवत अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर अपीलान्ट द्वारा उठाए गए प्रश्न भूदान यज्ञ बोर्ड से जारी प्रमाण–पत्र एवं अपीलान्ट के कब्जे के संबध में पूर्ण विवेचना करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित किये जाने हेतु अपील को तहसीलदार सैपऊ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.02.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वह अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजातों को रिकॉर्ड पर लेकर अपीलान्ट को विधिवत पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलान्ट द्वारा उठाए गए प्रश्नों के सम्बधों में पूर्ण विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर